(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/4359 विरूद्ध आदेश दिनांक 27-9-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 358/अपील/2013-14.

माजदा बी बेवा नईमउद्दीन
कृषक ग्राम मालझिर तहसील बाड़ी
निवासी ग्राम बकतरा
तहसील बुदनी जिला सीहोर .....आवेदिका

विरूद्ध

बलजीत सिंह फोगाट जाट
पुत्र करन सिंह फोगाट
निवासी 33-बी, शिव पैलेस
खजूरीकला रोड पिपलानी
तहसील हुजूर जिला .....अनावेदक

श्री मेहरवान सिंह, अभिभाषक, आवेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/2/19 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-9-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा जमालउद्दीन, कमालउद्दीन, बबलू, असलम, शाएउद्दीन पुत्रगण सलाउद्दीन एवं अनीजा बी पत्नी सलाउद्दीन के नाम की ग्राम मालझिर स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 11/1 रकबा 6.62 एकड़ पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार टप्पा भारकच्छ तहसील बाड़ी द्वारा प्रकरण क्रमांक 148/अ-6/2010-11 दर्ज कर दिनांक 29-7-2011 को आदेश पारित कर अनावेदक का

आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बरेली के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 57/अपील/10-11 में दिनांक 1-4-13 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । तदोपरान्त अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित एक अन्य प्रकरण क्रमांक 83/अपील/09-10 को पुनर्विलोकन में लेकर आदेश दिनांक 30-4-2014 द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 324/ए-6/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 31-10-2009 एवं प्रकरण क्रमांक 148/ए-6/10-11 में पारित आदेश दिनांक 29-7-2011 यथावत रखा गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27-9-2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

1. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधि की घोर अवहेलना करते हुए जानबूझकर अनावेदकगण को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से आदेश उभय पक्षीय होकर अपीलीय होने के बावजूद भी अपने आदेश का पुनर्विलोकन करने में गंभीर त्रुटि की गई है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा अस्पष्ट आलोच्य आदेश द्वारा कर, विधि को नजरअंदाज किया गया है । इस तर्क के समर्थन में 1991 आर.एन. 51 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

2. तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 1-4-2013 को विधि अनुसार उभय पक्षीय आदेश पारित कर विस्तृत आदेश पारित करते हुए मूल आदेश, जिस पर कि प्रकरण आधारित है, उसकी शर्तों की जांच उपरांत ही विधि अनुसार आदेश पारित किये जाने के निर्देश दिये गये थे, के बावजूद भी तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के संज्ञान में ऐसे कौन सा कारण आया कि अपीलीय आदेश को भी विधि विरूद्ध पुनर्विलोकन में लिए जाने की स्वीकृति लेना आवश्यक हो गया, जिसका कि उन्हें अधिकार ही नहीं था । ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । इस तर्क के समर्थन में 1986 आर.एन. 150 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

3. अनुविभागीय अधिकारी ने विस्तृत आदेश पारित किया है, जिसमें उनके द्वारा अनेकों बार अपीलें होने का उल्लेख करते हुए प्रकरण, मूल प्रकरण क्रमांक 15/बी-121/88-89 में पारित

आदेश दिनांक 12-2-1990 पर आधारित होना मान्य किया है, के बावजूद भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है एवं अपर आयुक्त द्वारा अस्पष्ट आलोच्य आदेश द्वारा पुष्टि कर वाद बाहुल्यता को बढ़ावा दिया गया है । इस तर्क के समर्थन में 2014 आर.एन. 56 (उच्च न्यायालय) का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदिका ने स्वयं स्वीकार किया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-2-90 अन्तिम हो चुका है । उक्त आदेश द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका का हक, स्वत्व एवं अधिकार समाप्त हो गये थे, इसलिए आवेदिका को प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में होने वाली अन्य सभी उत्तरोतर नामांतरण कार्यवाहियों को चुनौती देने का कोई अधिकार ही बाकी नहीं रहता है । उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आवेदिका की अपीलें निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों के विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टांत के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित विधिसंगत आदेशों में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-9-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर